# राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग/एमएनआईटी/म स्वा का./सीधी–भर्ती–2018/2019/1455 दिनांक.– 01.10.19

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
2. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, बाडमेर/पाली/भरतपुर/सीकर/भीलवाड़ा/चुरू/डूंगरपुर।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।

विषयः– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 के संदर्भ मे जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को सत्यापित किये जाने के सबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 मे अभ्यार्थियो के द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अथवा आपके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं संबंधित कार्मिक (जिसने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2018 के क्रम में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य किया है) को आपके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को प्रमाणित किये जाने हेतु सबधित समस्त रिकार्ड/अभिलेख के साथ निम्नानुसार जिले के लिए निर्धारित तिथि को प्रभा भवन, एम0एन0आई0टी0 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर मे प्रातः 10.00 बजे से उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें :–

| क्र. स. | जिले का नाम | उपस्थित होने की दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | जयपुर, कोटा, पाली, बारां, टोंक, सीकर, झुझुनू, चूरू, अलवर, करौली, दौसा | 04.10.2019 |
| 2. | जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ, बूंदी, भीलवाडा, धौलपुर, नागौर, राजसमन्द | 07.10.2019 |
| 3. | उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, बाड़मेर, चित्तौडगढ, झालावाड़, जैसलमेर | 09.10.2019 |

दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के कार्यमुक्ति आदेश, नाम व फोन नं0 सहित जानकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Sd/-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक.– नर्सिंग/एमएनआईटी/म.स्वा.का./सीधी–भर्ती–2018/2019/1455 दिनांकः– 01.10.19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि सबधित अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिये पाबन्द करे।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।